



प्रेस नोट थाना तिलहर



जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 01.10.2026

- थाना तिलहर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, 10,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर घटना में प्रयुक्त लाठी-डण्डा बरामद।
- वी०पी० उर्फ सोमवीर पुत्र नन्दराम, की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री सौरभ दीक्षित द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
- थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं० 430/2026 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/103(1)/3(5) बीएनएस के वांछित इनामिया अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के आदेश के अनुपालन में जिला कारागार से पुलिस अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी-डण्डा बरामद किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदय के कुशल नेतृत्व में जनपद शाहजहाँपुर में वांछित/इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 शातिर इनामिया अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के आदेश के अनुपालन में जिला कारागार से पुलिस अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी-डण्डा बरामद किया गया।

घटना का विवरण—

दिनांक 28.08.2026 को वादी श्री सोनपाल पुत्र केदार निवासी ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना तिलहर पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर उनके भाई सुरेन्द्र पुत्र केदार के साथ गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी-डण्डों एवं बाँके से मारपीट कर हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तिलहर पर मु०अ०सं० 430/2026 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/103(1)/3(5) बीएनएस बनाम सुखदेव पुत्र हरिश्चन्द्र आदि 08 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. सुखदेव पुत्र हरिश्चन्द्र, 2. वासुदेव पुत्र हरिश्चन्द्र, 3. गोविन्द पुत्र मेहरबान निवासीगण ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 16.08.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्तगण 4. अमित पुत्र रामऔतार एवं

5. दिलीप पुत्र रामऔतार निवासीगण ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 26.08.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त 6. सुरेन्द्र पुत्र ब्रह्मानन्द, निवासी ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 35 वर्ष को दिनांक 30.09.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त 7. वी0पी0 उर्फ सोमवीर पुत्र नन्दराम, निवासी ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 20.09.2026 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। अभियुक्त 8. सतीश पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर के संबंध में विवेचना प्रचलित है। इसी क्रम में अभियुक्त वी0पी0 उर्फ सोमवीर पुत्र नन्दराम उपरोक्त के पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के आदेश के अनुपालन में उसे जिला कारागार, जनपद शाहजहाँपुर से पुलिस अभिरक्षा में थाना तिलहर लाया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी-डण्डा बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के आदेश के अनुपालन में पुलिस अभिरक्षा में लिये गये अभियुक्त का नाम:-

वी0पी0 उर्फ सोमवीर पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम सहवेगपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 430/26 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/103(1)/3(5) बीएनएस थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त वी0पी0 उर्फ सोमवीर पुत्र नन्दराम की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी-डण्डा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभाष चन्द्र, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ला, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 विकास चौधरी, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।